(नियम 26)

प्रति ॰ जिला कलेक्टर मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

उर्मिला देवी बनाम हरवीर सिंह

अपील नम्बर 87 वर्ष 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.01.2023 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। प्रार्थना–पत्र धारा 5 व मूल अपील कि बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट में बताया कि भूमि पुराने खसरा नम्बर 118 रकवा 0.23 है. तन ग्राम हसामपुर तहसील पाटन के 1/2 हिस्से कि खातेदारी रामकुंवार सिंह, बजरंग, दशरथ, महावीर, अनिरूद्ध मूलसिंह, मदन सिंह, सज्जन सिंह, सुनिल सिंह पुत्रगण गोकुल सिंह जाति राजपुत निवासी हसामपुर के दर्ज थी। जिनके द्वारा हरवीर सिंह पुत्र जगमाल सिंह राजपुत को दिनांक 05.07.1999 को जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर कब्जा संभला दिया। इसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 753 दिनांक 07.08.1999 को भरा गया। हरवीर द्वारा उक्त भूमि दिनांक 15.06.2009 को मैनें जरिये विक्रय पत्र भूमि क्रय कि थी व कब्जा लेकर आज दिनांक तक मेरा(अपीलान्ट) का ही है एवं मैं काबिज चली आ रही हूं। वर्तमान में भूमि के नये खसरा नम्बर 143, 144 हैं एवं भूमि का मेरे हक में नामान्तरकरण संख्या 1037 भरा गया था। दोनों विक्रय पत्रों को सक्षम न्यायालय में भी आज तक कोई चूनौती नहीं दि गई है। जो विक्रय पत्र आज भी प्रभावी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर तहसीलदार नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 10.03.2004 मूकदमा नं. 7/2003 उनवानी जगमाल सिंह बनाम हरवीर सिंह निरस्त कर अपीलान्ट के हक में भरा गया नामान्तरकरण संख्या 1037 ग्राम हसामपुर को वैद्य घोषित करने के आदेश प्रदान करे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम कि बहस पर मनन किया जाकर रिकॉर्ड व प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र धारा 5 का न्याय हित में स्वीकार किया जाता है। वकील अपीलान्ट द्वारा मूल अपील पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड व तहसीलदार पाटन से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया प्रकरण के संबंध में दोनों विक्रय पत्रों के जरिये ही भूमि का बेचान किया गया है एवं विक्रय पत्रों के आधार पर ही दोनों नामान्तरकरण संख्या 753 व 1037 [illegible] जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.200[illegible] के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 753 निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली तहसीलदार नीमकाथाना को लौटाई गई है। जिस [illegible] तत्कालीन तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पुनः सुनवाई के दौरान अपील कर्ता द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये है। अधिनरथ न्यायालय द्वारा निर्णय	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:05:12 IST
Reason: SelfAttested

(...कुमार)
कलक्टर
मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज
	पारित करते वक्त अपने निर्णय में इकरारनामे का वर्णन किया है परन्तु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 753 की रिकॉर्ड बाबत यथास्थिति के आदेश किस आधार पर किये यह स्पष्ट नहीं किया। यहां यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भूमि का विक्रय रजिस्टर्ड विक्रयों पत्रों से होना पाया गया है साथ ही इन विक्रय पत्रों को आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय मे चुनौति देये जाने का भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं पाया गया है। इससे ऐसा जाहीर होता है कि प्रार्थी द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही किये जाने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। आज दिनांक को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार भूमि पूर्व विक्रय कर्ता के नाम ही होना जाहीर होता है। जिसकी पुष्टि उर्मीला देवी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से भी होती है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है। तहसीलदार का निर्णय दिनांक 10.03.2004 को अपास्त किया जाता है। साथ ही नामान्तरकरण संख्या 753 को जिला कलक्टर सीकर द्वारा अपास्त किया गया था को यथावथ रखा जाता है एवं अपील तहसीलदार पाटन को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि दोनों विक्रय पत्रों को देखकर एवं अवलोकन किया जाकर तथा प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर देते हुये एक माह में समूचित निर्णय कर प्रकरण को पुनः फैसल करें एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.01.2023 कि पालना एक माह में कि जाकर पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय कि पालना हेतु तहसीलदार पाटन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:05:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner